


Entire consideration amount of Rs. Rs.38,00,000/- (Rupees Thirty Eight Lakhs ) only. has been paid by the Purchaser to the Seller in the following manner:-

- 1. Rs.5,00,000/- only through RTGS dated. 01.09.2020,
- 2. Rs.14,00,000/- only through RTGS dated 08.09.2020,
- 3. Rs.19,00,000/- only through RTGS dated 22.09.2020. and In witness whereof the Seller has set her hand on the date first written above at Jamshedpur.


Witnesses:-

Jsr. Court

1. Vishal Prosad S. D/ Late Sweend on Prosad



Advocate, Jsr. Court.



Certified that the fingers print of the left hand of each person whose Photographs are affixed in this deed have signed before me or taken by me.

Ulstrict Bas Association Jamshelpts

World No-9
Sheet No-5
Thana-Mango
Thana No-1641
Year of:-1970-71
Seale of:-1eM=2022.
Whata No-270
Plot No-1536:
Anea-2701 Sq. ft=8.2 Dec.
Land Marek on-100
Stole of:-North-37ft: South-37ft.
East-73ff. West-78ft.

Bounded by: North - Plot No-1535 South - Road (Branch) East - portion of plot No-1536 West - postion of plot No-1536

Punchasen: - MAX DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED.

area/where



Surveyor

B. C. Mahato

(Mango, JSR.)

Regu. No 01535/2011

## **MANGO NAGAR NIGAM**



बण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये संम्पती कर की सूचना।

Memo No.: 563062030920013533

Date

:03-09-2020

प्रभावी

:1 2016-2017

श्री/श्रीमती/सुश्री SUNITA DEVI W/O LT SURENDRA PRASAD, मोहल्ला BEHIND BIG BAZAR NH-33 MANGO JAMSHEDPUR JAMSHEDPUR , 9031790760 EAST SINGHBHUM, 831012

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं॰ - 0090007118000M0 वार्ड सं॰ 9 हुआ है, आपके स्व॰ निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रू॰ निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं॰	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	94.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		94.00

Surito Dev.

To be signed by the Applicant

- 1. कर निर्धारण की सूची, MANGO NAGAR NIGAM Website, <u>suda,jharkhand.gov.in</u> पर प्रदर्शित है।
- 2. नियमावली कंडिका 11.4 के आलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्थां नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लेगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा । हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पायें ।
- 3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा
- 4. यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण घृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियातय दी जाएगी।
- 5. किसी देय घृति को निर्दिष्ट समयाविथ (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
- 6. यह कर निर्यारण आपके स्व-निर्यारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्यारण -सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य गलत पाए जाने
- पर नियमावली कंडीका 13.2 के अनुसार निर्धारित शास्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा। 7. MANGO NAGAR NIGAM द्वारा संग्रहित इस सम्पति कर इन इमरतों/ढांचों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं कैरता है और/या न ही अपने मालिकों / दखलकार को कोई कानूनी अधिकार
- 8. अगर आपके नये होल्डिंग नंओ का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा ।